कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा (राज.)

क्रमांक–सामान्य / 2021 / 15

दिनांक : 19.03.2021

:: आदेश ::

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेश क्रमांक Estt.(RJS)/18/2021 दिनांकित 09.03.2021 द्वारा श्री राकेश कुमार, विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट, एन.आई.एक्ट प्रकरण सं.–2, भीलवाडा (दिनांक 27.03.2021 से 29.03.2021 तक के लिए रिमाण्ड ड्यूटी अधिकारी) का स्थानान्तरण हो जाने से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 14 सपठित धारा 15(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक–सामान्य / 2021 / 10 दिनांक 24.02.2021 में संशोधन करते हुए श्री राकेश कुमार, विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट, एन.आई.एक्ट प्रकरण सं.–2, भीलवाडा की उक्त अवधि की रिमाण्ड ड्यूटी निरस्त की जाकर **माह मार्च, 2021** में दिनांक 27.03.2021, 28.03.2021 एवं 29.03.2021 को राजकीय अवकाशों में भीलवाडा जिला न्यायक्षेत्र में उत्पन्न होने वाले आवश्यक आपराधिक प्रकरणों यथा रिमाण्ड, जमानत, मृत्युकालीन कथन, मृत्यु समीक्षा एवं अन्य आवश्यक कार्य यथा प्रोटोकॉल आदि के लिए कॉलम संख्या (2) में अंकित न्यायिक अधिकारीगण को उनके नाम के आगे कॉलम संख्या (4) में अंकित अवकाश की तिथि को अपने मुख्यालय पर उपस्थित रहकर प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक अपने न्यायालय में बैठकर एवं नियत तिथि के पूर्ववर्ती कार्यदिवस को कार्यालय समय पश्चात से पश्चातवर्ती कार्य दिवस को कार्यालय समय पूर्व तक मुख्यालय पर रहकर और यदि किसी कारण से नियत तिथि से पूर्ववर्ती या पश्चातवर्ती कार्य दिवस का अवकाश घोषित होता है, तो संबंधित अधिकारी को मुख्यालय पर रहकर उक्तानुसार ही उक्त कार्य सम्पादित करने के लिए अधिकृत किया जाता है –

क्र.सं.	नाम अधिकारी व मोबाईल नम्बर	पद नाम	दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्रीमती कंचन सिंह राजावत	विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट, एन.आई.एक्ट प्रकरण सं.–3, भीलवाडा	27.03.2021
2.	श्रीमती रिचा सिंह	न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम–2, भीलवाडा	28.03.2021 से 29.03.2021

–Sd–

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
भीलवाडा

क्रमांक–सामान्य / 2021 / 544

दिनांक : 19.03.2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, भीलवाडा।
2. श्रीयुत् जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाडा को प्रतिलिपि प्रेषित कर लेख है कि सभी थानाधिकारियों को रिमाण्ड व अन्य आवश्यक न्यायिक कार्यों के लिए उपर्युक्त दिनांक में अनिवार्यतः प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 12:00 तक न्यायालय में ही पंहुचने के लिए निर्देशित करने हेतु।
3. न्यायालय ....
4. अध्यक्ष, जिला अभिभाषक संस्था, भीलवाडा।
5. सहायक निदेशक, अभियोजन, भीलवाडा
6. सिस्टम अधिकारी, कम्प्यूटर शाखा, जिला न्यायालय, भीलवाडा को प्रेषित कर लेख है कि वह उक्त आदेश को जिला न्यायालय की website पर upload करें।
7. कार्यालय प्रति।

Abhilasha

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
भीलवाडा

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
भीलवाड़ा (राज.)